



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,  
इन्दौर - 452 001

क्रमांक : प्रशा.इक्कीस(2) / 2018 / 904


दिनांक 20 DEC 2018

## अधिसूचना

एतद्वारा सर्व-संबंधितों को अधिसूचित किया जाता है कि विषय क्रमांक 09 : अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.10.2018 में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में Statutory Bodies (UGC/AICTE/NCTE etc.) के अनुसार पात्रताधारी तथा पीएच.डी धारक एवं औद्योगिक क्षेत्र से आने वाले विजिटिंग फेकल्टी को रुपए 500/- के स्थान पर रुपए 800/- प्रतिघंटा एवं अन्य को रुपए 250/-के स्थान पर रुपए 400/- प्रतिघंटा मानदेय अधिकतम सीमा रुपए 25,000/- प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक एवं विभाग प्रमुख कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

  
कुलसचिव

क्रमांक : प्रशा.इक्कीस(2) / 2018 / 904  
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 20 DEC 2018

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक एवं विभाग प्रमुख समस्त अध्ययनशाला/संस्थान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
4. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर इस निवेदन के साथ की कृपया अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
5. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप कुलसचिव (शैक्षणिक) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उपकुलसचिव(प्रशा.)